न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2018 (राजसमन्द आर्डर)

सोहनलाल पिता चेनराम जी पालीवाल, निवासी मोरवड, तहसील व जिला राजसमन्द हाल विनायक नगर, बोहरा गणे''ा जी उदयुपर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवकि''ान पिता गणे''ालाल जी ब्राहमण, निवासी मोरवड, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर राजसमन्द दिनांक
31–05–2018 प्रकरण सं. 2/2013

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुके''ा तलेसरा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री अनिल जो''ाी अभिभाशक रेस्पो. सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक

27–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोरवड मं स्थित आराजी नंबर 732 रकबा 4 बिस्वा, 947 रकबा 6 बिस्वा एवं 1690/885 रकबा

6 बीघा भूमि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आवंटन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन से पूर्व दिनांक 03–01–1975 को ग्राम मोरवड़ की आराजी नंबर 1716/875 रकबा 6 बीघा भूमि आवंटित हुई थी और उक्त आवंटन को सब डिवीजनल ऑफिसर, राजसमन्द द्वारा निरस्त करते हुए उपरोक्त आवंटन आदे"ा पारित किया गया, जो विधि के विपरीत है। आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन का"तकार नहीं था तथा उसके पास पर्याप्त भूमि थी। आवंटित भूमि में से आराजी नंबर 947 रकबा 6 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अपने बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है, किन्तु उसे बिना सुने आवंटन किया गया है, जो नियमों के विपरीत होने से आवंटन दिनांक 19–11–1977 निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उक्त आवंटन को नियमानुसार बताते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 31–05–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मुके"ा तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा इस बात पर विचार नहीं किया कि आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं था तथा भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। उक्त आवंटन तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है

तथा आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा अपने बाप–दादाओं के समय से होने से उसके हक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए आवंटन आदे"ा दिनांक 19–11–1977 निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट ने उक्त आवंटन निरस्ती का आवेदन वर्श 2013 में प्रस्तुत किया है, जबकि आवंटन वर्श 1977 में किया गया है। अर्थात अपीलान्ट द्वारा करीब 35 वर्श बाद आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए उसके द्वारा कोई उचित व पर्याप्त कारण न तो इस न्यायालय में एवं न ही अधिनस्थ न्यायालय में बताये गये हं। अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन मयाद बाहर होना मानते हुए खारिज किया है, जिसमे हम प्रथम दृश्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन हाने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–05–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर